संख्या– – /जी0एस0/शिक्षा/A11-77/2016

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक : 12 अप्रैल, 2017**

महोदय,

आपके पत्र संख्या 749/SDSUV/Affi-2014-15 दिनांक 09.09.2014 तथा पत्र संख्या 574/SDSUV/Affi-2014-15 दिनांक 09.09.2014 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या 3(58) 2014 की संस्तुति व पत्र संख्या 2438 दिनांक 04.02.2017 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	व्यापार मण्ड़ल कन्या (पी0जी0) कॉलेज, मंगलौर (हरिद्वार)	B.Com with Computerized Accounting	60 सीट	सत्र 2014–15 हेतु
		M.A. (Education)	25 सीट	

1. संस्थान को उक्त सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि शीध्रातिशीध्र यू0जी0सी0 की निर्धारित अर्हतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करते हुए शिक्षकों की अर्हता का अनुमोदन विश्वविद्यालय से अवश्य प्राप्त करेगें अन्यथा संस्थान की सम्बद्धता निरस्त समझी जायेगी।
2. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियॉ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
4. छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नही किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी

क्रमशः– 2 पर